

नाम
अह
हुक
मं

हुकम या कार्यवाहीमदे इनिशियल्स जज

तारीख हुकम

18/2/19 वकील जयदीप अग्रवाल द्वारा जयदीप की तलकी गटवेवरी के लिए हो चुकी है। लेकिन ना ही उस दिन उपर अफिलर ना ही आज उपर है। इस लिए उनके विरुद्ध पक्षी कार्यवाही के आदेश दिए जा रहे हैं। पत्रावली वान्ति बहाल दिव 5/2/19 को पेश हो।

5/2/19 वकील जयदीप अग्रवाल पुनः हुकम वकील जयदीप की एक पक्षी कहल चुकी गयी। पत्रावली वान्ति आदेश दिनांक 18/2/19 को पेश हो।

19/2/19 लखीमपुरी जजमल नोटिस से बहली जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। बहल वकील जयदीप पर मनन डिमा बाया तथा पत्रावली का अकसेफन डिमा बाया। पत्रावली में उपलब्ध नक्शा है। इस नक्शे में जयदीप की खारे करी ख.नं. 158 को ही इशारा बाया है। जयदीप जिसे जयदीप का खीमा बिकाउ है। मेड फंडी पर हिमल बनी पड़ोसी व इलाहेदरा का पक्षी (नही बनाया गया है) तथा पड़ोसी खारेदरा का नक्शा है। इस में भी अकसेफन नही है, नक्शे में ही इशारा बाया है, इस लिए जयदीप का खारे योग्य नही है शकलिये जयदीप योग्य है।

जज: जयदीप जयदीप खारेज किया जाता है। निर्णय इन्सपस हुकम बाया पत्रावली फेलस हुकम होक नक्शा फल हो।

3